

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्रीमती सायरीबाई पुत्री तोलीराम पत्नी कैलाशचन्द्र रेगर उम्र वयस्क निवासी मावली तहसील मावली हाल ग्राम मोही तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द ।

.....वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घासा जिला उदयपुर ।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 125/25 (वाद) GCMS No. – 2025/252

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 405, 406 पर दर्ज आराजीयात भूमि में वादीया का नाम घीसीबाई पुत्री तोलीराम के बजाय घीसीबाई उर्फ सायरीबाई पुत्री तोलीराम संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं ।

यह आज तारीख 09.04.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली